न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/4

1. शेर सिंह पुत्र भवानी सहाय जाति अहीर, निवासी ग्राम थड़ा, तहसील तिजारा जिला अलवर।
2. श्रीमती प्रेम पत्नी लल्लूराम, जाति अहीर निवासी ग्राम थडा, तहसील तिजारा जिला अलवर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. मंजीत उम्र करीब 19 साल पुत्र श्री देवेन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम थड़ा, तहसील तिजारा जिला अलवर।
2. रजत उम्र करीब 13 साल पुत्र श्री देवेन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम थड़ा, तहसील तिजारा जिला अलवर, नाबालिग जरिये सरपरस्त माता ओमदेवी पत्नि देवेन्द्र।
3. नीतेश उम्र करीब 15 साल,
4. मोहित उम्र करीब 13 साल पुत्र हरेन्द्र जरिये सरपरस्त माता श्रीमती बबली पत्नि हरेन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम थड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर।

––**असल** रेस्पोन्डेन्ट्स

5. नायब तहसीलदार/उप–तहसीलदार, टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर।

––**तरतीबी** रेस्पोन्डेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री विजय सिंह राठौड़, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री श्याम बाबू पारीक एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 16.11.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाड़ी जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2021 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि असल रेस्पोन्डेन्ट द्वारा एक अपील सं. 11/13/2021 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी खसरा नम्बर हाल 46 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 170 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 182/334 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 183 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 183/337 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 184 रकबा 2.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 184/336 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 197 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 198 रकबा 1.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 284 रकबा 0.13 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 285 रकबा

P.T.O.

0.15 हैक्टेयर वाके ग्राम थड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर के सम्बन्ध में इस आशय के साथ प्रस्तुत की कि उक्त आराजी में असल रेस्पोन्डेन्ट के परदादा शेरसिंह के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है और उक्त आराजी भवानी सहाय के कब्जे काश्त खातेदारी की रही है। उनके स्वर्गवास के बाद असल रेस्पोन्डेन्ट के परदादा रामकुंवार का नाम राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 व आराजी में 1/2 हिस्सा अपीलान्ट शेरसिंह के नाम आ गई। उक्त आराजी दादालाई होने के कारण 1/3 भाग हम अपीलांटान/असल रेस्पोन्डेन्ट का है। उक्त आराजी के संबंध में एक वाद अपीलार्थीगण/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, तिजारा के न्यायालय के समक्ष धारा 53, 88, 89, 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके साथ धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 18.02.2015 को अंतरिम स्थगन पारित किया गया और उक्त आराजी बाबत राजस्व मण्डल के समक्ष एक निगरानी/टी.ए./2864/2015 पेश की गई। जिसमें राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्टे जारी किया गया। दिनांक 03.07.2015 को हकत्याग अपीलान्ट सं. 1 द्वारा 2 के हक में तहरीर व तकमील कराया गया, जो हकत्याग उप पंजीयक भिवाडी के कार्यालय में पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 263, पृष्ठ सं. 19 क्रम सं. 2015002164 पंजीबद्व कराया गया जिसके आधार पर इतकाल सं. 617 दिनांक 15.7.2015 स्वीकार किया गया जिसकी जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने 14.11.2017 को यानी 2 साल 4 माह बाद रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जिसमें जानकारी 02.11.2017 को होना बताया गया। अपील के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम व धारा 96 सीपीसी व दरख्वास्त स्थगन भी पेश की गई जिसका जवाब मिन अपीलांटान द्वारा दिनांक 10.09.2018 को प्रस्तुत किया गया तथा आदेश 41 नियम 27 के तहत दो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जिनके साथ दानपत्र दिनांक 26.10.2005 द्वारा रामकुमार बहक ओमवती पत्नि देवेन्द्र, बबली पत्नि हरेन्द्र के पक्ष में तहरीर किया गया था तथा नामांतरकरण संख्या 111 जो अपीलांट के पिता भवानी सहाय की मृत्यु उपरांत मिन अपीलांट व रामकुंवार दोनों पुत्रों के नाम दिनांक 11.12.1963 को दर्ज व तस्दीक किया गया व इंतकाल सं. 617 दिनांक 15.07.2015 जो मिन अपीलांट सं. 1 द्वारा हकत्याग अपीलांट सं. 2 के नाम किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074, जमाबंदी सम्वत 2016–2020 व मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया गया तथा नकल आदेशिका दिनांक 27.2.2007 बअनुमान मुकदमा ओमदेवी बनाम शेरसिंह दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 वाद सं. 1/181 दिनांक 01.12.2005 की नकलात पेश की। उक्त वाद दिनांक 27.2.2007 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा खारिज फरमा दिया गया। ठीक इसी प्रकार देवेन्द्र, हरेन्द्र जो कि असल रेस्पोन्डेन्ट के पिता हैं उनके द्वारा भी एक वाद सं. 279 दिनांक 29.10.2010 को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष 88, 89 व 188 का प्रस्तुत किया गया जो वाद भी राजीनामा हो जाने के कारण राष्ट्रीय लोक अदालत में रेस्पोन्डेन्ट असल के पिता द्वारा दिनांक 02.12.2014 को विड्रा कर लिया गया और वाद खारिज करा लिया। ठीक इसी प्रकार एक वाद सं. 32/2015 असल रेस्पोन्डेन्ट के द्वारा अपनी माता को सरपरस्त बनाते हुए मिन अपीलांट के खिलाफ दायर किया गया जिसमें एकतरफा में स्थगन प्राप्त कर लिया गया जिसकी जानकारी होने पर विचारण

न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2015 को स्थगन की अवधि नहीं बढाई गई। जिसके खिलाफ असल रेस्पोन्डेन्ट ने एक रिवीजन भी दिनांक 07.07.2017 को खारिज फरमा दी गई। ये समस्त दस्तावेजात तहत न्यायालय में प्रस्तुत किये गये और कानूनी नजीरें भी प्रस्तुत की गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में किसी भी दस्तावेजात व कानूनी नजीरों का विवेचन न करते हुए निर्णय दिनांक 22.12.2021 को पारित कर दिया जो निणर्य विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि मिन अपीलांट सं. 1 को अपने कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी को हर प्रकार से उपयोग–उपभोग करने का पूर्ण हक व अधिकार हैं और इसी के तहत मिन अपीलांट ने अपनी आराजी को दिनांक 03.07.2015 को नियमानुसार अपीलांट सं. 2 के पक्ष में रजिस्टर्ड हकत्याग किया है जिसके आधार पर इंतकाल सं. 617 दिनांक 15.07.2015 दर्ज व तस्दीक किया गया और राजस्व रिकार्ड में अपीलांट सं. 2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज व चला आ रहा है और मौके पर अपीलांट सं. 2 मिन अपीलांट सं. 1 के हिस्से की आराजी पर हकत्याग के अनुसार काबिज व दाखिल है। जिस आराजी से असल रेस्पोन्डेन्ट का संबंध वास्ता व सरोकार नहीं है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि मिन अपीलांट सं. 1 द्वारा अपीलांट सं. 2 के पक्ष में किया गया रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 03.07.2015 को आज तक किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी गई है और जब तक रजिस्टर्ड डोक्यूमेंट प्रभाव में है तो उसके आधार पर दर्ज व तस्दीक किए गए इंतकाल संख्या 617 दिनांक 15.07.2015 को भी चुनौती नहीं दी जा सकती है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किया ही अपीलाधीन आदेश दिनांक22.12.2021 पारित किया है जो काबिले निरस्तनीय हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि इंतकाल की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है जिससे कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है और जब तक रजिस्टर्ड हकत्याग प्रभाव में है तब तक इसके आधार पर दर्ज किये गये इंतकाल को कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया जो काबिल गौर श्रीमान् है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का एकमात्र क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नहीं है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा ने अपने निर्णय दिनांक 28.5.2016 में वाद सं. 32/2015 अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट उनवान मंजीत बनाम शेरसिंह में यह माना है कि वादी मंजीत वगैरहा शेरसिंह का सगा पड़पोता नहीं है इस कारण शेरसिंह की भूमि में वादी मंजीत का कोई हक व अधिकार जन्म से उत्पन्न नहीं होता है इसलिये वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट असल का विवादित आराजी जो कि शेरसिंह को विरासत में प्राप्त हुई और

P.T.O.

रेस्पोन्डेन्ट सं. 2 को जरिये हकत्याग के प्राप्त हुई है उसके संबंध में इंतकाल सं. 617 व वाद के माध्यम से चुनौती देने का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर भी गौर नहीं किया जो काबिले गौर श्रीमान है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाडी, जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2021 निरस्त फरमाया जावे और इंतकाल संख्या 617 दिनांक 15.07.2015 नायब तहसीलदार, टपूकडा, बदस्तूर बहाल रखा जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 कथन किया है कि विवादित आराजी पैतृक व दादालाई है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 का जन्मजात 1/3 हिस्सा व अपीलान्ट संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है जिससे केवल मात्र अपीलान्ट संख्या 1 के नाम आराजी का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से उसे आराजी को रिलीज/हकत्याग करने का कोई कानूनी हक प्राप्त नही होता है जिससे नामान्तरकरण संख्या 617 काबिले अपास्त ही था। उन्होने आगे कथन किया है कि हकत्याग करने हेतु विधि अनुसार पक्षकारों के मय रक्त सम्बन्ध होना आवश्यक होता है लेकिन अपीलान्ट संख्या 1 ने रक्त सम्बन्ध के विरूद्ध हकत्याग दिनांक 03.07.2015 को किया गया है। अपीलान्ट संख्या 2 ना तो उक्त आराजी में सहकाश्तकार थी और ना ही उसका अपीलान्ट संख्या 1 से किसी प्रकार का रक्त सम्बन्ध स्थापित था क्योंकि प्रेमदेवी, अपीलान्ट संख्या 1 का भतीजा लल्लूराम की पत्नी है जो किसी भी प्रकार से रक्त सम्बन्धी में नही आती है जिससे हकत्याग दिनांक 03.07.2015 विधि विरूद्ध होने के कारण विवादित नामान्तरकरण काबिले अपास्त ही था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने कथन किया है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 617 दिनांक 15.07.2015 को तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा तस्दीक किया गया उस समय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा विवादित आराजी के सम्बन्ध में दिनांक 11.06.2015 को स्थगन अदेश पारित किया गया था जो नामान्तरकरण स्थगन आदेश के बावजूद तस्दीक किया गया है इसलिये नामान्तरकरण संख्या 617 विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य ही था। उन्होने आगअे कथन किया है कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा का स्थगन आदेश दिनांक 18.02.2015 जारी किया गया था जिसका अमल जमाबन्दी नोट में होने के बावजूद भी विवादित नामान्तरकरण संख्या 617 तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा मंजूर व तस्दिक किया गया है जो निरस्तनीय ही था। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ही विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलन्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट संख्या 2 के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड हकत्याग के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 617 पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 08.07.215 को भरा गया है जिसे नायब तहसीलदार टपूकड़ा द्वारा दिनांक 15.07.2015 को स्वीकार किया गया है जो न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन निगरानी संख्या 2864/2015 उनुवान मंजीत बनाम शेरसिंह में जारी स्थगन के दौरान स्वीकार किया गया है जो विधि सम्मत नही होने से निरस्तनीय ही था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाड़ी जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2021 विधि सम्मत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाड़ी जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2021 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त 16/11/22
जयपुर।